भाग–3 शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवाएं		
क्रम	**विषय**	**विनियमावली 2016 में वर्णित उपबन्ध/नियम**
1	**2**	**3**
17	नियुक्ति	**1–(1) [1][किसी मान्यता प्राप्त मदरसा में कर्मचारियों की नियुक्ति अधिनियम और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी। समूह ''घ'' के पद पर नियुक्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी।]** (2) समस्त शैक्षिक एवं अशैक्षिक कार्मिकों की सेवा शर्तें नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगी। (3) अनुदान सूची में सम्मिलित मदरसों में अतिरिक्त पदों के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगीः– (क) मुंशी/ मौलवी स्तर की संस्था– **[प्रधानाचार्य का 01, लिपिक का 01, कार्यालय अनुचर का 01, मुंशी/ मौलवी कक्षाओं हेतु सहायक अध्यापक 04, जिनमें से एक अध्यापक वैकल्पिक विषय के लिए होगा, फौकानियां कक्षाओं हेतु सहायक अध्यापक 03 जिनमें से एक अध्यापक वैकल्पिक विषय के लिए होगा तथा तहतानियां कक्षाओं हेतु 05 अध्यापक के पद अनुदान के समय स्वीकृत समझे जायेंगे। कार्यालय अनुचर का 01 पद आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरा जायेगा।][2]** (ख) अधिक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पदों का सृजन शासन द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार किया जाएगाः– (एक) तहतानियां (कक्षा 1 से 5 स्तर) में प्रत्येक कक्षा अथवा मान्य प्रत्येक वर्ग पर एक शिक्षक पद देय होगा। (दो) फौकानियां की कक्षा 6 से मुंशी/ मौलवी की कक्षा 10 तक प्रत्येक कक्षा अथवा मान्य अनुभाग पर 1 1/2 शिक्षक की दर से शिक्षकों के पद देय होंगे। योगफल में आधा, एक पढ़ा जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि कक्षा IX एवं X में प्रत्येक मान्यता प्राप्त विषय के अलग–अलग शिक्षक आवश्यक रूप से आवश्यकतानुसार होंगे। कक्षा IX एवं X के शिक्षणोपरान्त उनके बचे हुये समय का कक्षा VI एवं VIII तक के शिक्षण में उपभोग किया जाएगा।

[1] संख्या–1711/52–3–2017–सा(5)–2014 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के अन्तर्गत विनिमयावली, 2016 के भाग–3, विनियम–1(1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] संख्या–1711/52–3–2017–सा(5)–2014 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के अन्तर्गत विनिमयावली, 2016 के भाग–3, विनियम–1(3)(क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

		(4) आलिम कक्षा XI एवं XII के प्रत्येक मान्य विषय हेतु एक शिक्षक अनुमन्य होगा। आलिम कक्षाओं के शिक्षणोपरान्त बचे हुए समय का उपभोग कक्षा IX एवं X के शिक्षण में किया जायेगा। (5) उपरोक्त के अतिरिक्त कामिल (स्नातक) की प्रत्येक कक्षा हेतु स्वीकृत विषय के अनुरूप अध्यापक अनुमन्य होंगे। शिक्षकों की संख्या मान्य विषयों के समतुल्य होगी। (6) उपरोक्त के अतिरिक्त फाजिल (स्नातकोत्तर) की प्रत्येक कक्षा हेतु दो शिक्षक प्रति मान्य विषय की दर से अनुमन्य होंगे। फाजिल कक्षाओं में शिक्षणोपरान्त यदि समय बचता है तो उनका उपयोग कामिल कक्षाओं के शिक्षण में किया जायेगा। (7) संस्था में आवश्यक शिक्षकों की कुल संख्या की गणना प्रत्येक कक्षा के मान्य अनुभागों के आधार पर की जायेगी और इस हेतु कक्षावार अनुभाग का आकार निम्नवत् होगाः— (क) कक्षा एक तथा आठ (तहतानियां एवं फाकानियां) में प्रथम अनुभाग 52 विद्यार्थियों का तथा दूसरा अनुभाग 53 से 87 विद्यार्थियों तक इसके उपरान्त प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक अनुभाग की गणना की जायेगी। (ख) कक्षा IX एवं X में (मुंशी / मौलवी)में 20 विद्यार्थियों तक एक अनुभाग तथा21 से 40 विद्यार्थियों तक द्वितीय अनुभाग तथा इसके बाद प्रत्येक 20 विद्यार्थियों तक एक अन्य अनुभाग अनुमन्य हो। (ग) कक्षा XI एवं XII में (आलिम) में 15 विद्यार्थियों तक एक अनुभाग तथा 16 से 30 विद्यार्थियों तक द्वितीय अनुभाग तथा इसके बाद प्रत्येक 15 विद्यार्थियों तक एक अन्य अनुभाग अनुमन्य हो। (घ) कामिल एवं फाजिल में 15 विद्यार्थियों तक एक अनुभाग तथा 16 से 30 विद्यार्थियों तक द्वितीय अनुभाग तथा इसके बाद प्रत्येक 15 विद्यार्थियों तक एक अतिरिक्त अनुभाग अनुमन्य हो। (ड) पूर्वीवर्ती विनियम संख्या 3 (क) में किये गये उपबन्धों के अतिरिक्त प्रत्येक मदरसा में 1000 विद्यार्थियों पर 02 कनिष्ठ सहायकों तथा 2000 विद्यार्थियों पर 03 कनिष्ठ सहायकों के पद दिये जायेंगे। किसी मदरसे में कनिष्ठ सहायकों की अधिकतम संख्या 03 होगी। **(च) [किसी भी मदरसे में यदि विद्यार्थीयों की संख्या 500 तक हो जाती है तो अनुचर का एक अतिरिक्त पद, राज्य सरकार के अनुमोदन से स्वीकृत किया जायेगा, ऐसे पद पर नियुक्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी।]**[3]
18	पद सृजन एवं छात्र संख्या का सत्यापन	2—(1) शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के अतिरिक्त पदों का सृजन शासन के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा। (2) मदरसे में अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु तीन वर्षों की अवधि की छात्र संख्या का ध्यान में रखा जायेगा।

[3] **संख्या—1711 / 52—3—2017—सा(5)—2014 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के अन्तर्गत विनिमयावली, 2016 के भाग—3, विनियम—1(7)(च) के स्थान पर प्रतिस्थापित।**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(3) तहतानियां तथा फौकानियां की छात्र संख्या का सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा संस्था के अभिलेखों तथा स्थलीय निरीक्षण के आधार पर किया जायेगा।
(4) मुंशी/मौलवी से फाजिल परीक्षा तक की छात्र संख्या का सत्यापन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा बोर्ड की संस्थागत परीक्षाओं हेतु पंजीकृत एवं अन्य कक्षाओं के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अथवा विभाग द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन के आधार पर किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>19</td><td>संस्था प्रधान शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की नियुक्ति</td><td>
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>पदनाम</th><th>आयु</th><th>अर्हता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रधानाचार्य (आलिम या उच्चतर स्तर मदरसा)</td><td>30 वर्ष</td><td>फाजिल एवं कामिल (फारसी) की उपाधि, मुंशी/मौलवी या उच्चतर कक्षाओं का न्यूनतम 05 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव–
अथवा
दीनियात/ अरबी/ फारसी में 50 प्रतिशत अंकों सहित एम0ए0 तथा उपरोक्तानुसार 05 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव
अथवा
फाजिल/ एम0ए0 तथा दीनियात/ अरबी/ फारसी/ परम्परागत प्राच्य विषय में दुक्तूरा सहित उपरोक्तानुसार 03 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रधान (मुंशी, मौलवी स्तर तक मान्यता प्राप्त मदरसा)</td><td>30 वर्ष</td><td>फाजिल अथवा अरबी/ फारसी/ दीनियात में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि एवं तीन वर्षों का शैक्षणिक अनुभव</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रवक्ता/ मुदर्रिस (आलिम या उच्च कक्षाओं का शिक्षक)</td><td>22 वर्ष</td><td>फाजिल अथवा अरबी/ फारसी/ दीनियात परम्परागत प्राच्य विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि तथा मुंशी/ मौलवी कक्षाओं का न्यूनतम दो वर्षों का शैक्षणिक अनुभव
परन्तु अरबी/ फारसी/ दीनियात दुक्तूरा उपाधि धारक के लिए शैक्षणिक अनुभव आवश्यक नहीं है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>(क) सहायक अध्यापक (मुंशी/मोलवी)

(ख) वैकल्पिक विषय अध्यापक</td><td>21 वर्ष</td><td>फाजिल अथवा अरबी / फारसी/ दीनियात से स्नातकोत्तर उपाधि तथा फौकानियां कक्षाओं का तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव

संबंधित विषय में फाजिल अथवा स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 50 प्रतिशत</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

					अंकों सहित अथवा प्रशिक्षित कामिल प्रशिक्षत स्नातक इसके साथ आलिम अथवा उर्दू से इण्टर का प्रमाण पत्र भी आवश्यक हो।
		5	(क) सहायक अध्यापक फौकानियां (ख) वैकल्पिक विषय	18 वर्ष	कामिल अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा आलिम अथवा उर्दू सहित इण्टर का प्रमाण पत्र आवश्यक है। न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित संबंधित विषय में कामिल अथवा स्नातक तथा उर्दू/ अरबी/ फारसी से मुंशी/ मोलवी से अनिम्न स्तर का प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त मदरसे का कारी एवं उर्दू/ अरबी/ फारसी सहित आलिम से अनिम्न स्तर का प्रमाण पत्र
		6	सहायक अध्यापक तहतानियां	18 वर्ष	आमिल अथवा ऊर्द से इण्टर अथवा फाजिल
		7	कनिष्ठ सहायक	18 वर्ष	(क)–आलिम अथवा इण्टर अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र (ख)–मौलवी स्तर का प्रमाण पत्र उर्दू/ अरबी/ फारसी सहित (ग)– सी0सी0सी0 (कार्स आफ कम्प्यूटर कन्सेप्ट) प्रमाण पत्र जो इन0आई0ई0एल0ई0टी0 (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रानिक एण्ड इन्फारमेशन टेक्नोलोजी) द्वारा कम्प्यूटर आपरेशन में प्रदत्त हो और हिन्दी/ अंग्रेजी में 25/30 शब्द प्रति मिनट टाइप की गति आवश्यक है।
			समूह 'घ' कर्मचारी	18 वर्ष	1. उर्दू/ अरबी/ फारसी सहित फौकानियां स्तर का प्रमाण पत्र 2. साइकिल अथवा बाइक संचालन का ज्ञान आवश्यक है।
		टिप्पणीः–(1) इस परिषद अथवा किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या विनियमित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मानी जाने वाली अथवा अन्य संस्था विशेषकर संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिकृत संस्था की सम्बन्धित विषय में उपाधि और आधिपत्र न्यूनतम अर्हता, जो इनके अधीन निर्धारित है, इस उद्देश्य के लिये मान्य होगा।			

		(2) दारूल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ/ दारूल उलूम देवबन्द/ मजाहिरूल उलूम, सहारनपुर/ मदरसा आलिया (ओरियन्टल कॉलेज), रामपुर/ जामियतुल सलफिया, वाराणसी/ मदरसतुल इस्लाह, अजामगढ़/ जामियां अशरफिया मुबारकपुर, आजमगढ़/ जामियतुल फलाह बिलरियागंज, आजमगढ़/ सुल्तानुल– मदारिस, लखनऊ द्वारा प्रदत्त आलिमीयत या फजीलत मदरसा शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के आलिम/ फाजिल के समकक्ष समझी जाएगी। (3) इसके अन्तर्गत निर्धारित अर्हता के सन्दर्भ में शब्द '' प्रतिशिक्षित'' का तात्पर्य परास्नातक यथा मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त कामिले–तदरीस या फाजिले– तदरीस और किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था की बैचलर आफ एजूकेशन या मास्टर आफ एजूकेशन, जैसा पूर्ववर्ती प्रस्तर में निर्धारित है अथवा किसी समकक्ष उपाधि या उपाधि पत्र से है। (4) कनिष्ठ सहायक और समूह 'घ' के कर्मचारियों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
		व्याख्याः– 1–फौकानियां एवं उच्चतर कक्षाओं के पद पर 50 प्रतिशत नियुक्यिॉ प्रोन्नति के द्वारा की जाएगी तथा 50 प्रतिशत रिक्तियॉ सीधी भर्ती से भरी जाएगी। 2–मदरसा में प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक का रिक्त पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा, जिसके लिए मदरसा में नियुक्ति उपयुक्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते है, जो निरन्तर सेवा में रहने पर पूर्ण वेतन तथा सेवानैवृत्तिक लाभों के हकदार होंगे।
20	विज्ञापन	4–किसी पद पर नियुक्ति हेतु किन्हीं हो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक स्थानीय स्तर का तथा एक समाचार पत्र जिसके विभिन्न सम्पादन होते हों या जिसका प्रकाशन एक या अधिक मण्डलों से होता हो, में प्रकाशन आवश्यक होगा। विज्ञापन में रिक्त पद का विवरण, नियत अनुभव, शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक अनुभव, वेतन संरचना, आवेदन समय, इत्यादि दिया जाएगा। आवेदन हेतु न्यूनतम तीन सप्ताह का समय दिया जायेगा।
21	चयन समिति	5–एक चयन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः– [(एक) मदरसा के प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष– अध्यक्ष (दो) प्रबन्ध समिति द्वारा दो शिक्षाविद नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिसमें एक सदस्य प्रबन्ध समिति का सदस्य हो सकता है– सदस्य (तीन) मदरसा का प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक– सदस्य (चार) मदरसा का प्रबन्धक– सदस्य सचिव टिप्पणीः–किसी मदरसा में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी।] यदि किसी कारणवश अध्यक्ष उपलब्ध न हों तो प्रबन्ध समिति चयन समिति के अध्यक्ष का चुना दो तिहाई बहुमत कर सकती है।

		टिप्पणी– सहायता प्राप्त मदरसे का कोई भी शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कार्मिक पदेन सदस्य होने के अतिरिक्त अपने मदरसे अथवा किसी अन्य मदरसे के प्रबन्ध समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।][4]
22	साक्षात्कार एवं चयन	6–(1) चयन समिति आवेदति अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी तथा वांछित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलायेगी। अंकादमिक अर्हताओं हेतु 10 अंक होगे, जिनमें से प्रथम श्रेणी हेतु 10 अंक, द्वितीय श्रेणी हेतु 07 अंक और तृतीय श्रेणी हेतु 05 अंक दिये जायेगे तथा अकादमिक अर्हताओं के प्रतिशतांक की गणना योगफल के आधार पर होगी। साक्षात्कार में प्रत्येक सदस्य हेतु 16 अंक नियत होंगे तथा 10 अंक अध्यक्ष एवं प्रबन्धक की संयुक्त सहमति पर आधारित होंगे तथा साक्षात्कार हेतु अंकों की गणना समस्त सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों के आधार पर की जायेगी। (2) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना नियत तिथि से 15 दिवस पूर्व ही चयन समिति द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से दी जायेगी। (3) साक्षात्कार में अध्यक्ष एवं 04 सदस्यों की मौजूदी आवश्क होगी तथा यदि किसी कारणवश साक्षात्कार स्थगित होता है तो साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को इसकी लिखित सूचना दी जायेगी। उन्हें अगले साक्षात्कार हेतु नियत तिथि की भी सूचना 15 दिवस पूर्व पंजीकृत डाक से दी जायेगी। (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची वरीयताक्रम में तैयार करेगी। चयन समिति शैक्षिक अर्हताओं एवं साक्षात्कार द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर उन तीन अभ्यर्थियों का नाम प्रश्नगत सूची में रखेगी, जो सम्बन्धित पद हेतु उपयुक्त पाये गये हों। यह सूची चयन तिथि से तीन मास हेतु वैध होगी। प्रतिबध यह भी है कि यदि चयनित अभ्यर्थी योगदान नहीं देता है तो अन्तिम सूची एक वर्ष हेतु वैध रहेगी।
23	नियुक्ति पत्र	7–चयन समिति, नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रबन्ध समिति को प्रेषित करेगी। इसके उपरान्त प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से प्रथम वरीयता के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी (प्रबन्धक/ प्रधान) द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रेषित किया जायेगा, जिसमें पद का नाम, वेतन संरचना, परिवीक्षण काल तथा नियुक्ति के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख होगा। साक्षात्कार की तिथि से दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा। नियुक्ति पत्र की एक प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा निरीक्षक उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद को प्रेषित की जायेगी।
24	कतिपय व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक	प्रबन्ध समिति एवं प्रधान के निम्नलिखित संबंधियों की नियुक्ति उसी मदरसा में नहीं की जायेगीः– (एक) पुत्र/ पुत्रवधु (दो) पुत्री/ दामाद (तीन) भाई/ बहन (चार) पति/ पत्नी (पाँच) माता/ पिता 9–(1) अनुदानित मदरसा के समस्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान निरीक्षक अरबी मदरसा की लिखित सहमति से किया जायेगा।

[4] **संख्या–1711/52–3–2017–सा(5)–2014 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के अन्तर्गत विनिमयावली, 2016 के भाग–3, विनियम–5 के स्थान पर प्रतिस्थापित।**

		(2) सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति या प्रोन्नति से संबंधित समस्त अभिलेख वित्तीय सहमति हेतु निरीक्षक अरबी मदरसा को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दिये जायेंगे। (3) कर्मचारी की नियुक्ति/प्रोन्नति से संबंधित समस्त अभिलेखों की प्राप्ति 15 दिवस के भीतर निरीक्षक अपनी वित्तीय सहमति अथवा तर्कसंगत आपत्ति, जैसा भी हो, प्रबन्ध समिति एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रदान करेगा। (4) यदि निरीक्षक नियुक्ति/ प्रोन्नति संबंधी अभिलेखों की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वित्तीय सहमति प्रदान नहीं करता है तो प्रश्नगत नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से वेतन भुगतान हेतु वित्तीय सहमति स्वतः अनुमन्य समझी जायेगी।
25	मदरसा में अनुकम्पा नियुक्ति	10–(1) सहायक प्राप्त मदरसा के किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उसके एक आश्रित की नियुक्ति की जायेगी। मृतक आश्रित की श्रेणी निम्नवत् होगी :– (क) पति एवं पत्नी (ख) पुत्र एवं अविवाहित पुत्री (ग) गोद लिया गया पुत्र/ पुत्री (घ) विधवा पुत्री (माता–पिता पर आश्रित) नियुक्ति निम्नानुसार होगीः– (2) कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उसका एक आश्रित 05 वर्षों की अवधि में आवेदन करेगा। (3) यदि पति और पत्नी दोनों ही सेवा में हों तो मृतक आश्रित की स्थिति नहीं आती है। (4) यदि पति और पत्नी दोनों ही कार्यरत रहते हुये मृत हो जाय तो एक आश्रित की ही नियुक्ति की जायेगी। (5) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति उसी मदरसे में की जायेगी जिसमें मृतक कर्मचारी कार्यरत था। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किसी अन्य अनुदानित मदरसों में नहीं की जायेगी। (6) यदि मृतक आश्रित मदरसा में किसी पद हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव सम्पन्न है और वह पद रिक्त है तो उस पद पर उसकी नियुक्ति की जायेगी। यदि मृतक आश्रित शिक्षक पद अथवा लिपिकीय पद की अर्हता नहीं रखता है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जायेगा। (7) यदि मदरसा में पद रिक्त नहीं है तो एक लिपिक तथा एक समूह घ का पद अधिसंख्य पद के रूप में सृजित समझा जायेगा। (8) आश्रित के आवेदन पर प्रबन्ध समिति 15 दिवस में आश्रित की नियुक्ति करके जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव निरीक्षक अरबी मदरसा को प्रेषित करेगी। प्रस्ताव की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निरीक्षक अरबी मदरसा वेतन भुगतान हेतु सहमति देंगे। यदि नियुक्ति में कोई

		त्रुटि/ गलती है तो निरीक्षक अरबी मदरसा उक्त त्रुटि/ गलती का निराकरण करने के पश्चात वेतन भुगतान की सहमति देंगे। (9) निरीक्षक की सहमति के पश्चात मृतक आश्रित को उसके योगदान की तिथि से वेतन का भुगतान किया जायेगा।
26	परिवीक्षण तथा स्थायीकरण	11– समस्त नवनियुक्त व्यक्यिों को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे आगे एक वर्ष के लिए कारण उल्लिखित करते हुये प्रबन्ध समिति द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि परिवीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी का कार्य एवं व्यवहार असन्तोषजनक पाया जाता है, तो प्रबन्ध समिति द्वारा कारण बताओं नेाटिस देने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात परिवीक्षित सेवा समाप्त की जा सकती है। यदि परिवीक्षण अवधि में कोई नोटिस परिवीक्षण अवधि बढ़ाने का नहीं दिया जाता है तो परिवीक्षण काल पूर्ण होने पर संबंधित कर्मचारी अपने पद पर स्थायी किया हुआ समझा जायेगा।
27	सेवा शर्तें	12–(1) सहायता प्राप्त मदरसों के समस्त कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर स्वीकृत वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जायेगा। (2) संस्था में कर्मचारी द्वारा प्रथम बार कार्यभार ग्रहण करने पर उसके पद के अनुरूप आरम्भिक वेतन नियत किया जायेगा, परन्तु यदि उसने उसी संस्था में अथवा अन्य सहायता प्राप्त मदरसा में कार्य किया हो तथा वेतन वृद्धियॉ अर्जित की हों तो ऐसी अर्जित वेतन वृद्धियों का लाभ उसे दिया जायेगा। प्रतिबंध यह है कि उक्त सेवा निरन्तर रही हो। (3) उच्च पद पर प्रोन्नति होने पर किसी शिक्षक का प्रारंभिक वेतन मूल वेतन क्रम में नियत किया जायेगा (यदि उसका वेतन उच्च पद के वेतनमान के न्यूनतम से कम हो तो) परन्तु यदि यह उससे अधिक या समान है तो (पूर्ववर्ती) निम्न वेतनमान में एक वेतन वृद्धि देने के पश्चात उच्च वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जायेगा। (4) प्रत्येक कर्मचारी को नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी। (5) जहॉ संस्था के कर्मचारियों का वेतन नियत समय में प्रबन्ध समिति की किसी चूक के कारण भुगतान नहीं होता है तो मदरसा शिक्षा अधिकारी, अधिनियम एवं विनियम के किसी प्राविधान का अतिक्रमण किये बिना संस्था के कार्मिक के वेतन भुगतानार्थ आगणित एवं कोषागार टोकन द्वारा निर्गमित धनराशि से संबंधित शिक्षक अथवा कर्मचारी जैसी भी स्थिति हो, को विगत भुगतानित वेतन की दर से, और नयी नियुक्ति की दशा में वेतन क्रम जिसमें नियुक्ति हुयी है, के न्यूनतम वेतन की दर से नियत तिथि से 10 दिवस के भीतर वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगा तथा भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार का समायोजन तदोपरान्त यथाशीध्र किया जायेगा।
28	वरिष्ठता	13–(1) किसी संस्था में मौलिक सेवा के शिक्षकों की एक वरिष्ठता सूची वरिष्ठता के आधार पर तैयार की जायेगी। उक्त सूची में स्थायी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी और यदि समान

		पदों पर दो या अधिक शिक्षक हो तो वरिष्ठता उनकी आयु के आधार पर निर्धारित की जायेगी। अधिक आयु वाला वरिष्ठ होगा। (2) दो वरिष्ठतम शिक्षक दो वर्षों हेतु प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य चुने जायेंगे। उनका कार्यकाल प्रबन्ध समिति की रचना होने की दिनांक से आरम्भ होगा। उनका कार्यकाल पूर्ण होने अथवा उसे पूर्व ही उनके द्वारा त्याग–पत्र देने के कारण होने वाली रिक्ति के पद या पदों पर वरिष्ठता सूची के अगले शिक्षक/ शिक्षकों का चुनाव पूर्ण कार्यकाल के लिये होगा। किसी शिक्षक की पदेन सदस्यता उसकी प्रोन्नति अथवा पदावनति के कारण खंडित नहीं होगा। (3) प्रबन्धक एक वरिष्ठता सूची तैयार करेगा और तत्संबंधी अभिलेख अनुरक्षित करेगा, जिसमें यह उल्लिखित होगा कि किस तिथि को वह शिक्षक वरिष्ठता का हकदार हुआ। वरिष्ठता क्रम को अन्तिम रूप देने के पूर्व वरिष्ठता सूची की एक–एक प्रति सभी शिक्षकों को दी जायेगी। शिक्षकों की ओर से प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण प्रबन्ध समिति द्वारा एक माह में किया जायेगा। (4) प्रबन्ध समिति के निर्णय से व्यथित कोई अध्यापक 15 दिवस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो तो निरीक्षक अरबी मदरसा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। जो अपील का निस्तारण 60 दिवस में करेंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा। (5) सूची को अन्तिम रूप देने के पश्चात उसकी एक–एक प्रति संस्था के समस्त कर्मचारियों, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा निरीक्षक उ0प्र0 मदरसा परिषद को दी जायेगी।
29	अधिवर्षता वय	14–(1) प्रत्येक कर्मचारी के लिए सेवापुस्तिका एवं चरित्र पंजी होगी। सेवापुस्तिका एवं चरित्र पंजी उसी प्रारूप में होगी, जो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु निर्धारित है। (2) शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कार्य एवं व्यवहार की वार्षिक प्रविष्टियां प्रतिवर्ष प्रधान एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से जबकि प्रधान की वार्षिक प्रविष्टियां केवल प्रबन्धक द्वारा अंकित की जायेंगी। (3) यदि किसी कर्मचारी की चरित्र पंजी में पूरे वर्ष में कोई प्रतिकुल प्रविष्टि की जाती है तो इस प्रविष्टि के 30 दिवस के अन्दर ही संबंधित कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। (4) चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रबन्ध समिति को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जो अपना निर्णय दो माह में कर्मचारी को संसूचित करेगी। इस संसूचना की प्राप्ति के पश्चात कर्मचारी निरीक्षक अरबी मदरसा को अपील प्रस्तुत कर सकता है। जो अपील प्रस्तुत होने के दिनांक से दो माह में अपना निर्णय देंगे। (5) प्रत्येक मदरसा का प्रत्येक कर्मचारी सेवा पुस्तिका क्रय करके इसे मदरसा के प्रबन्धक को नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर उपलब्ध करा देगा, जो संस्था प्रधान की अभिरक्षा में होगी तथा प्रधान के मामले में यह प्रबन्धक की अभिरक्षा में होगी।

		(6) संस्था के कार्मिकों को किसी कार्य दिवस में सेवापुस्तिका के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। वे प्रत्येक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रोन्नति, स्थानान्तरण अथवा सेवा व्यवधान हस्ताक्षरित करेंगे। (7) कर्मचारियों की चरित्र पंजिका का प्रपत्र निम्नवत होगाः– मदरसा के समस्त कर्मचारियों के कार्य एवं चरित्र संबंधी गोपनीय वार्षिक आख्याः– (क) संस्था का नाम (ख) कर्मचारी का पूरा नाम (ग) पिता का नाम (घ) उत्तीर्ण परीक्षायें विश्वविद्यालय, परिषद, संस्था के नाम सहति वर्ष एवं श्रेणी (ड) शासन उसके विभाग अथवा सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रदत्त किसी कार्य अथवा योग्यता प्रमाण पत्र का अभिलेख। (च) विशेष योग्यता (छ) जन्म की तिथि एवं स्थान (ज) स्थायी पता (झ) वर्तमान संस्था में सेवा प्राम्भ करने की तिथि (ण) वर्तमान संस्था में स्थायी नियुक्ति की तिथि (ट) पूर्व सेवा का स्थानों एवं तिथि सहित विवरण (ठ) पहली जुलाई सन्..... को वेतन तथा वेतन क्रम। दिनांकः संस्था प्रधान/ प्रबन्धक के हस्ताक्षर 8–(i) संस्था प्रधान/ शिक्षक के सेवा निवृत्ति की आयु वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की गयी हो। प्रतिबंध यह है कि यदि प्रधान सा शिक्षक अपनी अधिवर्षता वय शिक्षासत्र के मध्य में प्राप्त करता है तो उसकी सेवा का काल पूर्ण होने पर माध्यमिक शिक्षा की भांति सत्रांत अर्थात 31 मार्च तक उसकी सेवायें विस्तारित समझी जायेगी। (ii) यदि किसी शिक्षणेत्तर कर्मी की सेवानिवृत्ति की तिथि महीने की किसी मध्य तिथि को पड़ती है तो ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारी को उस महीने के अन्तिम कार्यदिवस को सेवानिवृत्त किया जायेगा। परन्तु यदि किसी शिक्षणेत्तर कर्मी की जन्म तिथि किसी महीने के पहले दिन को पड़ती है तो वह पिछले माह की अन्तिम कार्य दिवस को ही सेवानिवृत्त समझा जायेगा। (iii) सहायता प्राप्त संस्था के कर्मचारी की सेवानिवृत्त के तिथि से संबंधित सूचना उसकी अधिवर्षता वय के दिनांक से एक वर्ष पूर्व ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व निरीक्षक अरबी मदरसा को दी जायेगी। इसी प्रकार मृत्यु अथवा त्याग पत्र से होने वाली रिक्त संबंधी सूचना भी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार/ निरीक्षक को 07 दिवस के भीतर दी जायेगी।
30	त्याग पत्र	15–(1)कोई भी कर्मचारी तीन माह पूर्व नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है। यदि कोई कर्मचारी त्याग पत्र से तीन माह पूर्व इसकी सूचना नहीं देता है तो उसे तीन महीने का वेतन जमा करना पड़ेगा।

		(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को सुनवायी का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा तथा उसके अभिकथन दर्ज करने के पश्चात अपनी संस्तुतियों सहित उसका त्याग पत्र 15 दिवस में निरीक्षक उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को प्रेषित किया जायेगा।
31	अनुशासनिक कार्यवाही (दण्ड जॉच तथा निलम्बन)	16—मदरसों के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन एवं दण्ड तथा नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए किसी दाण्डिक मामले में अन्वेषण या विचारण की कार्यवाही मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित सेवा एवं प्रशासन योजना के अन्तर्गत की जायेगी।
32	अवकाश नियम	17— मदरसों में अवकाश के वही नियम प्रभावी होंगे जो माध्यमिक/बेसिक शिक्षा में लागू हैं अथवा समय—समय पर लागू किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त अरबी फारसी मदरसों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अवकाश शासन के पूर्वानुमोदन से जारी किए जा सकेंगें।
33	कठिनाईयों के निवारण की शक्ति	18— असाधारण परिस्थितियों में इस नियमावली में से एक या अधिक नियमों को शिथिल करने या संशोधन करने अथवा समय—समय पर शिक्षण के सुधार के दृष्टिगत निर्देश देने का सरकार को अधिकार होगा।

आज्ञा से
श्री प्रकाश सिंह
सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण एवं
वक्फ